निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 25/2022 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स एवेन्यू सुपर मार्ट लि॰ प्लाट नं॰ 08/सी, सैक्टर 8, प्रताप नगर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 4.92 क्विंटल खाद्य तेल मय पाउच/पात्र को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी के प्रतिनिधि ।

निर्णय — दिनांक **01.12.2022**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश कमांक/रसद/आरटीएल/2022/327/दिनांक 26.07.2022 की अनुपालना मे प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ एवं उपस्थित मौतबिरान की मौजूदगी में दिनांक 29.07.2022 को मैसर्स एवेन्यू सुपर मार्ट लि. स्थित प्लाट नं. 08/सी, सैक्टर 8, प्रताप नगर, जयपुर की जांच श्री विपिन परमार एरिया मैनेजर मैसर्स एवेन्यू सुपर मार्ट की उपस्थिति में की गई। उक्त फर्म पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2022 को जारी अधिसूचना के द्वारा खाद्य तेल/तिलहन पर स्टोक सीमा दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक लगाये जाने के कम में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य स्तर पर जांच दल का गठन कर औचक निरीक्षण किया गया। उक्त जांच दल द्वारा दिनांक 24.05.2022 को किये गये निरीक्षण में फर्म पर खाद्य तेल का कुल स्टॉक 34.92 क्विंटल पाया गया था जबकि भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2022 को जारी अधिसूचना में खुदरा विक्रता हेतु खाद्य तेल की स्टॉक सीमा 30 क्विंटल निर्धारित की गई थी। इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन करके 4.92 क्विंटल तेल का अधिक स्टॉक किया जाना पाया गया । जिसका कोई तर्क संगत जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सीमा से अधिक पाये गये तेल का विवरण इस प्रकार है–(1) धारा मस्टर्ड आयल 96 पाउच (1लीटर प्रति पाउच/910ग्राम) कुल 87.360 किलोग्राम (2) फोरच्यून सोयाबीन तेल 80 पाउच (1लीटर प्रति पाउच/910 ग्राम) कुल 72.800 किलोग्राम (3) सफोला गोल्ड ब्लेंडेड आयल 11 नग (5 लीटर प्रति नग/4.550 किलोग्राम) कुल 50.050 किलोग्राम (4) फोरच्यून रिफाईन्ड सोयाबीन तेल टिन 5 नग (15 किलोग्राम प्रति नग) कुल 75.000 किलोग्राम (5) [illegible] फ्रेश रिफाईन्ड सोयाबीन आयल 124 पाउच (1 लीटर प्रति पाउच/910 ग्राम) कुल 111.840 किलोग्राम (6) परमार रिफाईन्ड सोयाबीन आयल टिन 3 नग (13.650 किलोग्राम प्रति नग) कुल 40.950

जिला कलक्टर
जयपुर

किलोग्राम एवं (7) धारा कच्ची घाणी मस्टर्ड आयल 60 पाउच (1लीटर प्रति पाउच/910 ग्राम) कुल 54.600 किलोग्राम। इस प्रकार उक्त वर्णित खाद्य तेल पाउच/कन्टेनर में पाया गया है, जिसका कुल शुद्ध वजन 492.360 किलोग्राम तेल है। श्री विपिन परमार ने बातया कि 360 ग्राम तेल प्रथक किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त तेल को भी शामिल करने की सहमति दी है। उपरोक्त वर्णित 492.360 किलोग्राम खाद्य तेल को मय पाउच/पात्र जब्त किया गया है तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त खाद्य तेल को श्री विपिन परमार एरिया मैनेजर मैसर्स एवेन्यू सुपर मार्ट लि॰ की सुपुर्दगी में दिया गया। जब्तशुदा 492.360 किलोग्राम खाद्य तेल मय पाउच/पात्र को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं खाद्य तेल क्षय शील एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का इस्तदुआ किया है।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त खाद्य तेल क्षय शील एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 22.08.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को दिनांक 29.08.2022 को निर्देशित किया गया कि जब्त खाद्य तेल का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जांच दल द्वारा दिनांक 24.05.2022 को किये गये निरीक्षण में फर्म पर खाद्य तेल का कुल स्टॉक 34.92 क्विंटल पाया गया था जबकि भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2022 को जारी अधिसूचना में खुदरा विकता हेतु खाद्य तेल की स्टॉक सीमा 30 क्विंटल निर्धारित की गई थी। इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन करके 4.92 क्विंटल तेल का अधिक स्टॉक किया जाना पाया गया । जिसका कोई तर्क संगत जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतःनिर्धारित सीमा से अधिक पाये गये जब्तशुदा 4.92 क्विंटल खाद्य तेल मय पाउच/पात्र को राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी फर्म खुदरा दुकानों की बडी श्रंखला है, जो एम आर पी से कम मूल्य पर ग्राहकों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। अप्रार्थी फर्म का अवैद्य मुनाफा को कोई उद्देश्य नही है। भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 2 नवम्बर 2022 से थोक और बल्क उपभोक्ता (खुदरा दुकानों की बडी श्रंखला) को खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक छूट दी गई है। अतः प्रार्थी का जब्त खाद्य तेल लौटाये जाने के आदेश फरमावें।
6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 29.07.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
7. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.03.2022 से खुदरा विक्रेता हेतु खाद्य तेल की स्टॉक सीमा 30 क्विंटल निर्धारित की गई थी। जांच दल द्वारा दिनांक 29.07.2022 को अप्रार्थी फर्म का निरीक्षण किये जाने पर मौके पर निर्धारित स्टॉक सीमा 30 क्विंटल से अधिक कुल स्टॉक 34.92 क्विंटल खाद्य तेल पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी फर्म के पास निर्धारित मात्रा से 4.92 क्विंटल खाद्य तेल अधिक मात्रा में पाया गया है। अप्रार्थी की ओर से भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 2

जिला कलक्टर
जयपुर

नवम्बर 2022 की फोटो प्रति पेश की है जिससे खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा मे छूट दी गई है किन्तु दिनांक 29.07.2022 को वक्त निरीक्षण अप्रार्थी फर्म के पास निर्धारित सीमा से 4.92 क्विंटल खाद्य तेल अधिक पाया गया है। इस बाबत अप्रार्थी फर्म द्वारा न तो दौराने जांच एवं न ही दौराने सुनवाई कोई संतोषप्रद जबाब दिया गया। जिससे अप्रार्थी फर्म की खाद्य तेल की कालाबाजारी किये जाने की मनः स्थिति स्पष्ट जाहिर होती है। फलस्वरूप जब्त शुदा 4.92 क्विंटल खाद्य तेल को राजसात (Confiscate) किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 4.92 क्विंटल खाद्य तेल को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 4.92 क्विंटल खाद्य तेल का अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिनांक 22.08.2022 एवं दिनांक 29.08.2022 को दिये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करे।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
10. निर्णय आज दिनांक **01.12.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर